आर.सी.एम.एस. नम्बर 2024 / 121

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तिम डिकी मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :– 64 / 2024 (रहमान वगै0 बनाम फातमा वगै0)

निर्णय दिनांक :– 18.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, पंकज शर्मा (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिकी दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 18.06.2025 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम डाबड़ी धीरसिंह स्थित भूमि ख0न0 1185 / 517 में दर्ज मंगतु के स्थान पर अलीशेर तथा ख0न0 854 में दर्ज जाति मुसलमान व्यापारी के स्थान पर व्यापारी दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। मृतक अलीशेर का फौतगी नामान्तरकरण वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 18.06.2025 को जारी की गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 64 / 2024 (GCMS NO. 2024 / 121)

1. रहमान पुत्र अलीशेर जाति व्यापारी निवासी डाबड़ीधीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुझुनू राज.
2. आमीना पत्नी अलीशेर जाति व्यापारी निवासी डाबड़ीधीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुझुनू राज.

– वादीगण

बनाम

1. फातमा पुत्री अलीशेर जाति व्यापारी निवासी डाबड़ीधीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुझुनू राज.
2. रूकसाना पुत्री अलीशेर जाति व्यापारी निवासी डाबड़ीधीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुझुनू राज.
3. अफसाना पुत्री अलीशेर जाति व्यापारी निवासी डाबड़ीधीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुझुनू राज.
4. नाजमीन पुत्री अलीशेर जाति व्यापारी निवासी डाबड़ीधीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुझुनू राज.
5. अफीन पुत्री अलीशेर जाति व्यापारी निवासी डाबड़ीधीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुझुनू राज.
6. अफरीन पुत्री अलीशेर जाति व्यापारी निवासी डाबड़ीधीरसिंह तहसील मलसीसर जिला झुझुनू राज.
7. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक डाबड़ी धीरसिंह तहसील मलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक
8. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार महोदय मलसीसर जिला झुन्झुनू

– प्रतिवादीगण

वकील वादीगण – रजिया बानो
वकील प्रतिवादी – श्री संदीप सिंह राठौड़

दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय

दिनांक 18.06.2025

संक्षेप में वादीगण द्वारा पेश वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम डाबड़ी धीरसिंह में भूमि खाता संख्या 13 के ख0न0 854 रकबा 0.89 है0 तथा खाता संख्या 471 के ख0न0 1185 / 517 रकबा 1.08 है0 अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी काश्तकारी की भूमि है जो वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को उनके पिता अलीशेर से प्राप्त हुई है। अलीशेर अपने जीवनकाल में उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहे। उनके देहान्त होने के बाद वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 संयुक्त रूप से अपने 1 / 7–1 / 7 हिस्सा भूमि पर काबिज काश्त है। भूमि ख0न0 1185 / 517 रकबा 1.08 है0 में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पिता अलीशेर का नाम सहवन से मंगतू दर्ज है ख0न0 854 में अलीशेर पुत्र सुभान दर्ज रिकार्ड है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के समस्त दस्तावेजात में पिता का नाम अलीशेर दर्ज है। इसलिये वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने पिता का गलत नाम मंगतू के बजाय अलीशेर दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा जाति मुसलमान व्यपी के स्थान पर व्यापारी

42

दर्ज करवाने के अधिकारी है। अन्त में वादी वादीगण स्वीकार किया जाकर जमीन जैर बहस में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक को 1/7–1/7 हिस्सा भूमि के संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा ख0न0 1185/517 के राजस्व रिकार्ड में मंगतू के स्थान पर अलीशेर दुरूस्त किया जावे तथा ख0न0 854 में दर्ज जाति मुसलमान व्यापारी के स्थान पर व्यापारी दर्ज किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से इकबाली जवाब पेश किया गया।

जवाबदेही पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्तागण के निवेदन पर बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा मुताबिक वाद पत्र वाद डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण मुताबिक वाद वादीगण स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती करने में सहमत है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि के राजस्व रिकार्ड में पिता अलीशे का नाम हजफ कर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को बराबर–बराबर हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने तथा ख0न0 854 में दर्ज जाति मुसलमान व्यापारी के स्थान पर व्यापारी तथा ख0न0 1185/517 में दर्ज मंगतू के स्थान पर वास्तविक नाम अलीशेर दुरूस्त करवाने का अनुतोष चाहा गया है। तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट क्रमांक 969 दिनांक 15.05.2025 के अनुसार वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 अलीशेर के वारिसान है। समस्त तथ्यों, प्रतिवादीगण की सहमती एवं उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम डाबड़ी धीरसिंह स्थित भूमि ख0न0 1185/517 में दर्ज मंगतु के स्थान पर अलीशेर तथा ख0न0 854 में दर्ज जाति मुसलमान व्यापारी के स्थान पर व्यापारी दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। मृतक अलीशेर का फौतगी नामान्तरकरण वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर